न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 58 / 2023 वाद

दायर दिनांक 28.06.2023

उनवान

1. बोथलाल पिता मांगीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1. चन्दादेवी पत्नी नारायणलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी पैट्रोल पम्प के पिछे कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. धनादास पिता हिरादास जाति साधु आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. कुलदीप उर्फ रिंकू पिता मोहनदास जाति साधु आयु वयस्क निवासी सेक्टर नं.– 18 ई० आईसीआईसी बैंक वाली गली मकान नं. 364 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज0)।
4. संगीता पुत्री मोहनदास जाति साधु आयु वयस्क निवासी सेक्टर नं. 18 ई० आईसीआईसी बैंक वाली गली मकान नं. 364 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज0)।
5. डिम्पल पुत्री मोहनदास जाति साधु आयु वयस्क निवासी सेक्टर नं. 18 ई० आईसीआईसी बैंक वाली गली मकान नं. 364 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज0)
6. सुनिता पत्नी मोहनदास जाति साधु आयु वयस्क निवासी सेक्टर नं. 18 ई० आईसीआईसी बैंक वाली गली मकान नं. 364 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज0)।
7. सुन्दरदास पुत्र हिरादास जाति साधु आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादी
अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट, श्री गौरव दाधीच —प्रतिवादीगण

—ः वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट ः—

निर्णय दिनांकः 20.02.2025

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कस्बा कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं. 428 से दर्ज आराजी सं. 1599 रकबा 0.26 हैक्टर, आ०स० 1600 रकबा 0.26 हैक्टर, आ0स0 1601 रकबा 0.04 हैक्टर, आ०चा० आराजी सं. 1612 रकबा 0.33 हैक्टर, आ०स० 1613 रकबा 0.15 हैक्टर,

(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ

आ०स० 1614 रकबा 0.23 हैक्टर, आ0स0 1615 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.47 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादी का 1/5 हक हिस्सा दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड है।

यह कि उपरांकित आराजीयात दर्ज सहखातेदारी में सहखातेदार प्रतिवादी सं. एक का 1/5, प्रतिवादी सं. दो का 1/5 व मोहनदास हिस्सा 1/5 का दिनांक 20-12-2020 को स्वर्गवास हो गया उनके जायज वारिस पुत्र, पुत्री, पत्नी प्रतिवादी सं. तीन लगायत छः का 1/5 हिस्सा होने से पक्षकार बनाये है व प्रतिवादी सं. सात का 1/5 हिस्सा है ।

यह कि वाद कालम एक उल्लेखित आराजीयात का मौखिक बंटवाडा अन्दाज आसरे से करीव 30 साल पहले से बीच पक्षकारान है जिसमें वादी ने अपने हिस्से में काउसैड आदि बना रखे है मुक्कमल विभाजन न होने से वादी अपने हिस्से को आबादान करने, भू-रूपान्तरण कराने, लागत लगाने के लिये कानूनन बंटवाडे की जरूरत है जिससे प्रतिवादीगण को सहमति से बंटवाडा करने को कहा जिस पर उनके द्वारा समयाभाव बताने व एक साथ न मिल पाने की वजह से बंटवाडा करने की जरूरत हुई जिससे वादी मौके कब्जे अनुसार सामलाती हिस्से मे से आने जाने का गाडी गडार रास्ता मौके पर कायम को दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड रखाते हुए वादी अपना 1/5 हिस्से का बंटवाडा किये जाने हेतु अदालत आपसे प्रार्थना करता है ।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को सहमति से बंटवाडा किये जाने हेतु दिनांक 01-04-2023 को कहा जिसमें प्रतिवादी सं. 5 सहमत हुए शेष ने वार्ता पर समयाभाव होना जाहीर किया जिससे वादी को भू-रूपान्तरण व आराजी हिस्सा आबादान करने के लिये हिस्सा बंटवाडा करने की जरूरत महसुस हुई जिससे बिनाय दावा दिनांक 01-04-2023 से पैदा होकर निरन्तर बनी हुई है।

अन्त में प्रार्थना की कि-

-बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमावे कि वाद कालम एक उल्लेखित ग्राम कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं. 428 से दर्ज आराजी सं. 1599 रकबा 0.26 हैक्टर, आ0स0 1600 रकबा 0.26 हैक्टर, आ0स0 1601 रकबा 0.04 हैक्टर आ0चा0 आराजी सं. 1612 रकबा 0.33 हैक्टर, आ0स0 1613 रकबा 0.15 हैक्टर, आ०स० 1614 रकबा 0.23 हैक्टर, आ0स0 1615 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.47 हैक्टर का मौके कब्जे अनुसार 1/5 हक हिस्से का बंटवाडा कर अलग जमाबन्दी व लगानबन्दी दर्ज कराई जाना फरमावे। हर्जा-खर्चा, मुकदमा, मेहनताना व अन्य दाद मुफिद जो वादी हो दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव दाधीच का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब व प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है। साक्ष्यवादी में वादी बोथलाल पिता मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बालारडा का शपथ पत्र प्रस्तुत। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श-1 है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी जाकर उक्त वाद पत्र में दिनांक 03.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.01.2025 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 13.02.2025 से शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी ने अन्तिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही की। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रस्ताव में रास्ता का रकबा अधिक रखा गया है जिससे रास्ता के क्रम में आपत्ति जाहिर की। वकील वादी ने निवेदन किया कि रास्ता समस्त खातेदारो के मध्य रखा है जो नियमानुसार है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर है साथ ही रास्ता नियम 18 से 21 की पालना में रखा गया है। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 20.02.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं. 428 से दर्ज आराजी सं. 1599 रकबा 0.26 हैक्टर, आ०स० 1600 रकबा 0.26 हैक्टर, आ0स0 1601 रकबा 0.04 हैक्टर, आ०चा० आराजी सं. 1612 रकबा 0.33 हैक्टर, आ०स० 1613 रकबा 0.15 हैक्टर, आ०स० 1614 रकबा 0.23 हैक्टर, आ0स0 1615 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.47 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.01.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

1. बोथलाल पिता मांगीलाल जाति बैरवा सा0 बालारडा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1612/3	0.24	चा0 3
योग	कुल किता–01	0.24	

2. चन्दा देवी पत्नी नारायणलाल रेगर सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1600	0.26	बा0 3
2	1612/1	0.02	चा0 3
योग	कुल किता–02	0.28	

3. सुन्दरदास पुत्र हीरादास जाति साधू सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1599	0.26	बा0 2
2	1613/1	0.0050	चा0 2
3	1612/4	0.0050	चा0 2
योग	कुल किता–03	0.27	

4. धनादास पिता हरीदास 1/2, मोहनदास पिता हीरादास 1/2 जाति साधू सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1613/3	0.12	चा0 3
2	1614	0.23	बा0 1
3	1615	0.20	चा0 3
योग	कुल किता–03	0.55	

5. बोथलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/5 जाति रेगर सा0 बालारडा, चन्दादेवी पत्नी नारायणलाल हिस्सा 1/5 जाति रेगर, सुन्दरदास पुत्र हीरादास हिस्सा 1/5, धनादास पिता हीरादास हिस्सा 1/5, मोहनदास पिता हीरादास 1/5 जाति साधू सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1601	0.04	आ0चा0
2	1612/2	0.0650	रास्ता
3	1613/2	0.0250	रास्ता
योग	कुल किता–03	0.13	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन